



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**  
 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / **Integrated Regional Office, Chandigarh**



फाइल नम्बर: 9-PBB329/2022-CHA

दिनांक: November, 2022

सेवा में,

अ०प्रधान मुख्य वन संरक्षक &  
 नोडल ऑफिसर (एफ० सी० ए०)  
 पंजाब सरकार, वन कॉम्प्लैक्स, सेक्टर 68,  
 एस० ए० एस० नगर (मोहाली), पंजाब।  
[fcaforest@gmail.com](mailto:fcaforest@gmail.com)

**Sub: Diversion of 0.208 ha of forest land for development of M/s Hill Side Concrete Plant at Village Bringali H.B. No. 610 Khasra No. 83/3, 83/4 which is a delisted area of section 4 of PLPA 1900, Tehsil Mukerian, under forest division Dasuya and District Hoshiarpur, Punjab. (Online proposal No. FP/PB/Others/142313/2021)-regarding.**

**Ref: State Government letter no. FOREST-FCA0FC3D/5/2021-FCA dated 31.10.2022**

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त प्रस्ताव की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए **0.208** हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है। आपके द्वारा दिनांक 31.10.2022 को भेजे गए पत्र के अनुसार, इस कार्यालय से चाही गयी वांछित स्पष्टीकरण/वांछित दस्तावेजों में से केवल PLPA delisting से संबंधित दस्तावेज ही भेजे गए है।

.2 अतः आपसे अनुरोध है कि, अपने स्तर से पूर्ण पडताल के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र का जबाब भेजने की कृपा करे। संदर्भित पत्र के आलोक में, निम्न सुचना पुनः भेजने का कष्ट करे :

- Based on the documents submitted by the user agency, the diversion appears to be of 0.4156 ha, not of 0.208 ha. Hence, whole part -I and part - II has to be filled for 0.4156 ha. If the proposal is for 0.208 ha, then all documents attached by the User agency in part-I have to be revised, accordingly.
- NOC from PPCB.
- CLU certificate from competent authority.
- NOC from Mining department.
- The project site is about 100 m linear distance away from the water source nearby. The relevant NOC may be submitted from competent authority.

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे, जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय,  
हस्ता/-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

**IRO, MoEF&CC, Chandigarh**

प्रतिलिपि:

- वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल Dasuya और जिला Hoshiarpur पंजाब | [dfodasuya@gmail.com](mailto:dfodasuya@gmail.com)
- MOHAN LAL S/o Sh Ram Singh village Bhanbotar tehsil Mukerian Distt Hoshiarpur  
[royal7477@icloud.com](mailto:royal7477@icloud.com)